

राजाखेडा

बनाम नागेन्द्र वगै०

US 212 RTA नम्बर 26 सन् 22

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2022	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को पक्षीय सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सालयान दिनांक 28.04.2022 तक के लिए जारी कर गैर सायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 4679, 4523, 4524, 4934, 4935, 5397, 4876 स्थित ग्राम बसईघीयाराम तहसील राजाखेडा व आराजी खसरा न० 4521 स्थित ग्राम नाहिला तहसील राजाखेडा पर रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। यदि इस संबंध में अन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 28.04.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। तहसीलदार राजाखेडा को वास्ते तामील परवाना जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.04.2022 को पेश हो।</p>	
26/4/22	<p>वकील प्रवर्ती सायल / उपप्रवर्ती गणेश जी तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाये। पत्रावली दिनांक 4/7/22 को पेश हो।</p>	
4/7/22	<p>वकील सायल उपर / पत्रावली वाले ईदजार तलबी न० 4/7/22 को पेश हो।</p>	
13/7/22	<p>पत्रावली जारी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गयी इस प्रा.प. का झल बाद वकील द्वारा प्रा.प. पेश कर विद्वान् कर खारिज करा लिया तो अन्हे झल बाद के खारिज होने की रोगरी के प्रार्थना पत्र पर RTA की खारिज किया जाता है पत्रावली फिलहाल अन्हे हेतु दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेडा

वसई घीयाराम तहसील राजाखेडा